खबर संक्षेप

स्वस्थ्य बच्ची को पाकर मॉ ने किया प्यार दुलार

शहडोल। जिला चिकित्सालयों में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन सुविधाओं में निःशुल्क सीटी स्कैन, दवाईयां, नवजात शिशुओं का बेहतर उपचार जैसे अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाती है, उक्त सुविधाओं का उद्देश्य आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसी कड़ी में तहसील सोहागपुर के ग्राम खमरिया निवासी आशा बैगा पति अशोक बैगा ने करीब दो माह पहले समय के पूर्व सात माह के गर्भ धारण के बाद ही एक बच्ची को जन्म दिया था। जिला चिकित्सालय शहडोल में खमरिया टोला के आशा बैगा ने 7 माह गर्भ के बाद 850 ग्राम प्री मेच्योर बेबी का जन्म दिया तो एसएनसीयू स्टॉफ बच्ची को नया जीवन देने के लिए पूरी कोशिश में जुट गए और 59 दिन तक बच्ची के हर गतिविधियों पर नजर रखी और जो भी सभी समस्या आई तो उसे त्वरित निदान किया गया और अतंतः एस.एन.सी.यू. स्टाफ एवं डॉक्टरों की दो माह की मेहनत रंग लाई। श्रीमती आशा बैगा ने अपनी बच्ची को स्वस्थ्य देखकर खुशी से प्यार दुलार किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया कि बच्ची को नया जीवन देने में जिला चिकित्सालय शहडोल में पदस्थ बाल रोग चिकित्सक डॉ. सुशील हथगेल एवं एस.एन.सी.यू. स्टाफ की अहम भूमिका रही।

विकासखंड स्तरीय टीएलएम मेले का हुआ आयोजन

शहडोल। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल एवं परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र के अनुक्रम में 20 फरवरी को सुबह 11 बजे से विकासखंड जयसिंहनगर में संचालित ईसीसीई विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विकासखंड स्तरीय टीएलएम मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के आयोजन में मास्टर ट्रेनर डी.पी.पटेल एवं शिव शंकर तिवारी के मार्गदर्शन में भाषा ,संज्ञानात्मक तथा रचनात्मक विकास विधाओं पर चयनित विद्यालय के शिक्षकों द्वारा तैयार की गई सहायक सामग्री प्रदर्शित कर बच्चों को विभिन्न कौशलों के विकास के बारे बताया गया, मेले में सर्वश्रेष्ठ तीन-तीन प्रविष्ठियों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। चयन समिति में मुख्य रूप से आर.एस.गौतम प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शहडोल, संकुल प्राचार्य राजीव तिवारी एवं समन्वयक आर. एन. विश्वकर्मा रहे। अवलोकन के लिए केदार मिश्रा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शहडोल, विनय पाण्डेय, ओमप्रकाश तिवारी, सुख निधान मिश्रा एवं बालकदास पटेल सहित अनेक शिक्षकगण एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कर्मचारी-अधिकारी एवं श्रम संगठन का सामंजस्य बेमिसाल

शहडोल। बिलासपुर रेल जोन के कर्मचारी-अधिकारी एवं श्रम संगठन रेलवे मजदूर कांग्रेस आपसी सामंजस्य बेमिसाल है, बिलासपुर रेल जोन में कार्मिक विभाग तीनों रेल मंडल रायपुर , नागपुर, बिलासपुर में कर्मचारियों के कल्याण , प्रमोशन, नियुक्ति समस्या निवारण में उल्लेखनीय कार्य किया है, कार्मिक विभाग बधाई के हकदार हैं, उक्त उद्गार महाप्रबंधक बिलासपुर तरुण प्रकाश ने जोनल पीएनएम बैठक में कही। रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल कार्यकारी अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी लक्ष्मण राव एवं जोनल प्रवक्ता गोपी राव ने बताया कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के वर्ष 2025 की प्रथम जोनल स्थाई वार्ता तंत्र बैठक 19 व 20 फरवरी को जीएम सभागार बिलासपुर में संपन्न हुई, दो दिवसीय बैठक में मुख्य अतिथि महाप्रबंधक बिलासपुर तरुण प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हुई, बैठक में उपमहाप्रबंधक विजय कुमार साहू ,बैठक का संचालन मार्गदर्शन श्रीमती दर्शनलिता अहलूवालिया ने किया बैठक में बिलासपुर रेल जोन के सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल अध्यक्ष तपन चटर्जी, जोनल महामंत्री पीताम्बर लक्ष्मीनारायण एवं सभी केन्द्रीय पदाधिकारी विजय अग्निहोत्री , डी.विजय कुमार, इंदल दमाहे, बी.कृष्ण कुमार, डी.के.स्वाइन आदि उपस्थित में चर्चा हुई।

मौत के मुहाने खुले पड़े अफसरों को नहीं सताती चिंता

पेट की आग बुझाने जोखिम में डालते हैं जान

जिले का धनगवां ग्राम, पति-पत्नी की मौत के बाद से भले ही अभी मातम में डूबा हो लेकिन कोयलांचल में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है।

शहडोल।

यहां पिछले कुछ सालों के अंतराल में अलग अलग स्थानों में इसी तरह अवैध खदानों का संचालन और फिर उनके धसकने से होने वाली मौतें चर्चा का विषय बन जाती हैं लेकिन चिंता की बात यह है कि मृतकों के चिता की आग ठंडी पड़ते ही पुनः कहीं न कहीं इसी तरह खदान खुल जाती है। ज्ञातव्य है कि कुछ ही वर्षों पूर्व तत्कालीन कमिश्नर के सख्त आदेश से जिला खनिज विभाग व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर बटुरा क्षेत्र की दर्जनों ऐसी ही खदाने बंद कराईं थीं। अवैध खदानों के पनपने का सबसे बड़ा कारण माफियाओं का सक्रिय होना है। धनपुरी, अमलाई, बुढ़ार के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के भूभाग में प्रचुर मात्रा में कोयला है और थोड़ी सी खुदाई से ही कोयला निकल आता है, इसलिए लोग इसे मोटी कमाई का जरिया बना लेते हैं। इसमें ग्रामीणों को मजदूरी देकर उनसे काम कराया जाता है और जब दुर्घटना होती है तो फिर सब के सब पल्ला झाडक़र भूमिगत हो जाते हैं।

प्रशासनिक उदासीनता भी दोषी

जिले के बुढार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनगवां में कोयले की एक अवैध खदान धंसकने से रविवार की शाम मजदूर पति-पत्नी की मौत हो गई है। हादसे में ओमकार यादव (40), उसकी पत्नी पार्वती यादव (36) मौत के घाट उतर गए। उनके पीछे पांच पुत्रियां अब असहाय होकर रोने विलखने को विवश हैं। हालांकि कलेक्टर ने इस घटना के बाद तत्काल इस तरह की खदाने बंद कराने का आदेश दिया लेकिन यही आदेश अगर पूर्व में सर्वेक्षण करने के बाद दिया जाता तो शायद हादसा टल जाता। घटना स्थल के आसपास रहने वालों ने बताया कि यहां महीनों से अवैध खदान चल रही थी, जिसके बारे में प्रशासन व खनिज विभाग को जानकारी दी गई थी। लेकिन कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी गई। लोग स्वयं तो गैरजिम्मेदाराना कृत्य कर हादसे के लिए जिम्मेदार होते ही हैं संबंधित विभाग भी कम दोषी नहीं होते हैं।

मॉनीटरिंग नहीं होने से समस्या

पूर्व में जिला प्रशासन के अधिकारी फील्ड का मौका मुआयना करते थे और खासतौर पर संदिग्ध क्षेत्रों का जहां से कई बार शिकायतें मिलती रहीं हों, लेकिन वर्तमान में अब अधिकारी न तो समय रहते शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं और न वे फील्ड का दौरा कर मौका मुआयना करते हैं। कुछ वर्षों पूर्व बटुरा के आसपास दर्जनों इसी तरह की खदानों के संचालन की जानकारी मिली थी, तब एकमुश्त कार्रवाई कराकर सारी खदाने बंद करा दी गईं थीं। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने फिर शुरू कर दिया और घटनाएं सिर उठाने लगीं। अगर खनिज विभाग के अधिकारी, बटुरा, समेत बुढ़ार व धनपुरी के ग्रामीण अंचलों का दौरा करते तो उन्हे अवैध खदानों की जानकारी अवश्य हो जाती और वे समय रहते कार्रवाई कर सकते थे। ऐसे मामलों में मुखबिरों के माध्यम से अक्सर सूचनाएं मिलती रहती हैं। लेकिन अधिकारी उनकी सूचनाओं को भी अहमियत नहीं देते हैं।

माफिया द्वारा उकसाया जाता है

गांव गली और खेतों के आसपास खुदाई करने के लिए अक्सर कोयले की कालाबाजारी करने वाले ग्रामीणों को उकसाते हैं और उनका कोयला अच्छे दामों खरीदने अथवा उन्हे अच्छी मजदूरी देने का लालच देकर ग्रामीणों को उकसाते हैं। गरीबी के शिकार ग्रामीण उनकी बातों में आकर जमीन खोदकर कोयला निकालना शुरू कर देते हैं। खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन इस बात को अच्छी तरह जानता है फिर भी कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझता है। कोयले का अवैध उत्खनन एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। जब तक इसके खिलाफ सघन अभियान नही चलाया जाता तब तक इस पर अंकुश लगना बहुत ही मुश्किल है। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि अब ग्रामीण कोयला निकाल कर खुद विक्री करते हैं। धनगवां में ही तीन हजार रुपए ट्राली कोयला बेचे जाने की जानकारी मिली है।

कालरी की बंद खदाने भी खतरनाक

ऐसा नहीं है कि केवल अवैध खदानों में ही मौतें हो रहीं हैं, एसईसीएल की बंद खदाने भी कोहराम मचाती रहती हैं। गत वर्ष सोहागपुर एसईसीएल की एक बंद खदान में कबाड़ चोरी करने घुसे सात युवकों की एक साथ मृत्यु हो गई थी। इनकी मौत खदान धसकने से नहीं बल्कि जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुई थी। एसईसीएल की बंद खदानें भी बिना एहतियात और सुरक्षा के लावारिस हालत में छोड़ दी गईं हैं। जहां अक्सर मौत का साया मंडराता रहता है। यहां मौतों के कई तरह के कारण मौजूद रहते हैं। लेकिन एसईसीएल के अधिकारी भी लापरवाही कर रहे हैं। जब भी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जरा आक्रोश उभरने के बाद सब शांत हो जाता है, जिम्मेदार प्रशासनिक व प्रबंधन के अधिकारी कार्रवाई करने की चुप्पी साध लेते हैं।

8 मार्च को नेशनल लोक अदालत

शहडोल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 08 मार्च को जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार - प्रसार हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हितेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा जिला न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया । इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश (अत्या. नि.) सुभाष सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्रीमती गीता सोलंकी, प्रथम जिला एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार कोल व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड रूपेन्द्र सिंह मडावी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सुश्री श्वेता यादव, जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कुंज बिहारी द्विवेदी , लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल के समस्त अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। प्रचार वाहन के द्वारा नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जावेगा एवं जनसामान्य को पंपलेट आदि के माध्यम से नेशनल लोक अदालत के आयोजन की जानकारी दी जावेगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सिविल प्रकरण ,चेक बाउंस, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रमिक विवाद तथा पूर्ववाद प्रकरणों में बिजली बिल बकाया राशि, जलकर, संपत्तिकर बकाया राशि से संबंधित, बैंकों के लोन संबंधी प्रकरण, दूरभाष संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा एवं विद्युत अधिनियम के चोरी से संबंधित प्रकरणों एवं नगरीय निकायों के संपत्तिकर, जलकर से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जा रही है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा जनसामान्य से अनुरोध किया गया है कि 08 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण करायें तथा विवादहीन समाज की स्थापना में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें।

नौरोजाबाद नगर परिषद में वाहन मरम्मत सहित खरीदी में किया था गड़बड़झाला

भ्रष्ट महिला सीएमओ को कमिश्नर ने किया निलंबित

शहडोल।

संभाग अंतर्गत उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर पालिका में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ज्योति सिंह को संभाग आयुक्त सुरभि गुप्ता ने निलंबित कर दिया है, श्रीमती ज्योति सिंह के निलंबन के आदेश कमिश्नर कार्यालय शहडोल से जारी किए गए हैं । गौरतलब है कि नौरोजाबाद नगर पालिका में बीते एक वर्ष के दौरान व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत के सामने आई थी, इस मामले में जांच अधिकारी के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसका जवाब मुख्य नगर पालिका अधिकारी व आरोपी सीएमओ के द्वारा नहीं दिया गया। इससे पहले भी उमरिया मुख्यालय में पदस्थापना के दौरान उन पर भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप लगे थे, इस मामले की जांच भी अभी लंबित ही बताई जा रही है।

यह लिखा कमिश्नर ने अपने आदेश में

जिला उमरिया अंतर्गत नगरपरिषद नौरोजाबाद में विगत 01 वर्ष में कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यों एवं सामग्री क्रय पर की गई, अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर, जिला उमरिया द्वारा आदेश क्र./323/जिशविअभि./2024, उमरिया 05 अगस्त 2024 से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली, जिला उमरिया की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय जांचदल गठित कर विस्तृत जांच कराई गई। जांच समिति ने प्रस्तुत निष्कर्ष में श्रीमती ज्योति सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता किया जाना प्रमाणित पाया है। कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण) जिला उमरिया के प्राप्त प्रस्ताव क्र.442, 23-10-2024 के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती ज्योति सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.) को कार्यालयीन पत्र क्र. 616,

दिनांक-22-01-2025 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर द्वारा आज दिनांक तक उत्तर प्रस्तुत न करना, विलंबित रखने की प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है। श्रीमती सिंह का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत एवं दण्डनीय है। अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9(1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये श्रीमती ज्योति सिंह, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपरिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्रीमती सिंह का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला उमरिया नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में निमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

एमआरपी से ज्यादा भुगतान

जांच समिति द्वारा लेपटाप/ कंप्यूटर तथा प्रिंटर क्रय की नस्ती का अवलोकन किया गया। सामग्रियों का क्रय स्थानीय बाजार से होना पाया गया। निर्धारित जांच अवधि में दो लेपटॉप तथा एक कंप्यूटर का क्रय होना पाया गया है। जिसमें से एक लेपटाप को अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसकी कैश बुक में इंट्री की गई है एवं भुगतान 98 हजार रुपए किया गया जबकि लेपटाप की एमआरपी 79 हजार रुपए अंकित है। एमआरपी से अधिक भुगतान किया जाना आपत्तिजनक है। सामग्री का क्रय जेम पद्धति से निविदा जारी कर किया जाना चाहिए था। भौतिक सत्यापन के दौरान प्रिंटर कार्यालय में नहीं पाए गए। इसके अलावा एसी क्रय की नस्ती का लेख किया गया है। जांच समिति द्वारा जांच अवधि में एसी क्रय की कोई नस्ती अथवा वाउचर नहीं पाया गया। भण्डार पंजी में भी एसी का उल्लेख नहीं पाया गया। भौतिक सत्यापन में कार्यालय में एक एसी लगा पाया गया जिसे स्टोर पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके लिए कार्यालय प्रमुख और भण्डार सहायक दोषी है।

वाहन मरम्मत में किया था गड़बड़झाला

मप्र वित्तीय संहिता अनुसार प्रत्येक वर्ष में एक वाहन पर अधिकतम 30 हजार रुपए का मेंटिनेंस कराया जा सकता है। जबकि सीएमओ श्रीमती ज्योति सिंह द्वारा माह जुलाई में वाहन एमपी-54 ए 5564 पर 98700 रुपए, वाहन एमपी-54ए-6250 पर 98900 रुपए तथा एक अन्य वाहन पर 94950 रुपए का संधारण कार्य कराया गया है। इसका तकनीकी प्रतिवेदन भी प्राप्त नहीं किया गया। अतः राशि 30 हजार रुपए से अधिक राशि प्रत्येक वाहन से वसूली जाने योग्य है। एक जानकारी यह भी है कि वाहनों का रखरखाव बिना किसी तकनीकी व यांत्रिकी जानकार के करवाया गया है। वाहनो के रखरखाव में जो व्यय किया गया वह सरासर नियमविरुद्ध है। इसी प्रकार माह अगस्त में मेसर्स मोलाबा इंटरप्राइजेस से राशि 1096279 रुपए, खाटू श्यामजी फर्म से 788195 रुपए तथा सिंगरौली कंपनी से 1676629 रुपए का क्रय बिना निविदा के की गई है। जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

बैक कर फिर कार को ठोका, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने कहा नहीं आई शिकायत

पेट्रोल पंप के सामने खड़ी कार को ट्रक ने कई बार मारी ठोकर

शहडोल।

जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के एनएच 43 बटुरा पेट्रोल पंप के सामने सडक़ किनारे खड़ी एक कार को ट्रक चालक ने जानबूझकर ठोकर मारी, वीडीओ में दिख रहा है कि ट्रक चालक का इतने में भी मन नहीं भरा तो उसने कार को दोबारा ठोकर मार कर यू-टर्न लिया और ट्रक बैक कर पुनः कार को ठोकर मारी। कई बार कार को ठोकर मारने के बाद ट्रक लेकर चालक भाग गया, घटना गुरुवार की सुबह तकरीबन 04 बजे हुई है। घटना की आवाज सुनकर पेट्रोल पंप में मौजूद एक कर्मचारी मौके पर दौड़ा, लेकिन कर्मचारी अकेले ही था, जिसकी वजह से उसने ट्रक चालक को काफी आवाज भी दी, लेकिन ट्रक चालक ने घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुईं है। मामले से पुलिस अनजान बनी है।

पुरानी दुश्मनी की आशंका

अमलाई थाना क्षेत्र के एनएच 43 बटुरा पेट्रोल पंप के सामने एक ऐसा सडक़ हादसा हुआ है , जिसे देख सब हैरान है, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ,जिसे देख ऐसा लग रहा है कि ट्रक चालक से कार या कार मालिक की कोई पुरानी दुश्मनी है। जानकारी के अनुसार अनूपपुर जिले के कोतमा से एक ट्रक बुढार की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में बटुरा पेट्रोल पंप के सामने व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार क्रमांक एमपी 18 सीए 3179 खड़ी थीं, गनीमत रही की घटना के समय स्विफ्ट कार में कोई मौजूद नहीं था, तेज रफ्तार ट्रक पेट्रोल पंप के सामने खड़ी कार को पहले सामने से ठोकर मार कर आगे की ओर बढ़ता है और इतने में भी जब उसका मन नहीं भरता , तो ट्रक को उसने बैक दोबारा कार को ठोकर मारी और यू टर्न लेकर सामने से फिर कई बार कार को ठोकर मार के आगे की ओर बढ़ जाता है।

कार में कोई नहीं था सवार

घटना की आवाज सुनकर पेट्रोल पंप में तैनात एक कर्मचारी मौके पर दौड़ता है और ट्रक चालक को ऐसा करने से मन करता है,लेकिन ट्रक के चालक की मानो तो कार से ऐसी दुश्मनी थी कि उसने कार को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है और मौके से फरार है। लोगों के अनुसार घटना के समय कार में कोई व्यक्ति सवार नहीं था, पेट्रोल पंप में एक कर्मचारी जो नाइट ड्यूटी में था,उसने बताया कि कार को एक शख्स ने यहा खड़ी कर दूसरे वाहन से कहीं चला गया था, बोलेरो सवार कुछ लोग आए थे, जिसमें कार चालक उसमें बैठकर कहां गया इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप में ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों ने यह जरूर सुना था कि कार चालक एवं दूसरे वाहन चालक आपस में कि मवेशियों के वाहन का जिक्र कर रहे थे और उसके बाद अचानक ट्रक आया और कार को ठोकर मारने लगा। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मार्ग मवेशियों की तस्करी के लिए सबसे सुरक्षित मार्ग है, आए दिन मवेशियों से भरे ट्रक इस मार्ग से गुजरते हैं,जिसकी पायलटिंग के लिए फोर व्हीलर वाहन भी रहते हैं,शायद यह उसी से जुड़ा मामला है, पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

इनका कहना है...

स्थानीय लोगों ने यह जरूर बताया है कि यहां पर एक क्षतिग्रस्त कार खड़ी हुई है, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत आने के बाद जांच की जाएगी।

जे.पी.शर्मा
थाना प्रभारी, अमलाई

26 मार्च को मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत वाराणसी, आयोध्या यात्रा

शहडोल। डिप्टी कलेक्टर अंतोनिया एक्का ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोहागपुर, बुढ़ार, जयसिंहनगर, ब्यौहारी, गोहपारू एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद शहडोल, धनपुरी, बुढार, जयसिंहनगर, ब्यौहारी, खांड एवं बकहो जिला शहडोल को पत्र जारी कर जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत 26 मार्च 2025 को वाराणसी (काशी) अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए 26 मार्च को शहडोल रेल्वे स्टेशन से स्पेशल रेलगाड़ी रवाना होगी तथा यात्रा पश्चात 31 मार्च को वापस शहडोल रेल्वे स्टेशन में ही रेलगाड़ी छोड़ेगी। जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायो से यात्रा के लिए प्राप्त आवेदन पत्र निर्धारित आरक्षित सीट संख्या के आधार पर ही स्वीकृत किये जावेगें। जिन यात्रियों के आवेदन पत्र स्वीकृत किये जावेगें उनकी सूची संबंधित जनपदों एवं निकायों को यात्रा के पूर्व उपलब्ध करा दी जावेगी कृपया सूची में नाम चयनित होने पर ही यात्रा हेतु निर्धारित तिथि 26 मार्च 2025 को शहडोल रेल्वे स्टेशन पर उपस्थित होवे। जिससे यात्रियों को कठिनाई ना हो। चयनित हुये तीर्थयात्री यात्रा में अपने साथ मूल आधार कार्ड/वोटर आई.डी. कार्ड अवश्य रखें।

ॐ शांति आपकी बातें थीं प्रेरणा, आपका दिल था महान, ॐ शांति
हर मुश्किल में आपने दिया हमें संजीवनी सा ज्ञान ।

त्रयोदशी एवं बरसी रस्म

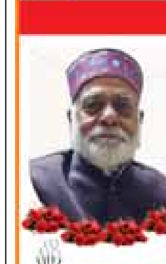

स्व. श्री कुबेर सिंह बैस (से.नि. डिप्टी कलेक्टर)
02.06.1941 - 10.02.2025

अत्यंत दुःख के साथ सुचित कर रहे हैं की हमारे पिताजी
स्वर्गीय श्री कुबेर सिंह (से. नि. डिप्टी कलेक्टर)
का ब्रह्मलोक गमन दिनांक 10 फरवरी 2025 को हो गया है,
जिनकी आत्मिक शांति हेतु त्रयोदशी संस्कार रविवार दिनांक 23
फरवरी 2025 को निज निवास में संपन्न होगी ।

दिनांक- 23 फरवरी 2025 प्रातः 11 बजे से
स्थान - सरोज सदन, मेडिकल कॉलेज रोड, कुदरी, शहडोल (म.प्र.)

शोकाकुल- सरोज सिंह (पत्नी), मृगेंद्र सिंह 'पप्पू' (पुत्र), नीलम सिंह (पुत्र वधु), डॉ संजय सिंह (दामाद), मृदुला सिंह (पुत्री), कनिष्क सिंह (पौत्र), कृति सिंह (पौत्र वधु), प्रशांत सिंह चौहान (पौत्री पति:), कृतिका सिंह (पौत्री) एवं समस्त बैस परिवार ।

आर्या पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी

शहडोल। जिले के जयसिंहनगर जनपद की आर्या पब्लिक स्कूल के संचालक ध्रुवसेन सिंह चौहान ने बताया कि आर्या पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 21 फरवरी को शाम 06 बजे से किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद राजेश मिश्रा, विधायक विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी शरद जुगलाल कोल व विधायक जयसिंहनगर मनीष सिंह सहित कई जानी-मानी हस्तियां कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इस कार्यक्रम में संचालक ध्रुवसेन सिंह चौहान एवं टीम ने समस्त क्षेत्रवासियों, गणमान्य नागरिकों, पदाधिकारियों, पत्रकारगणों, समाजसेवियों एवं अभिभावकों सहित छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में छात्र - छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी, जिसकी समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि विगत वर्षों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी लोगों ने काफी सराहना की थी।

शिक्षक एक सप्ताह के अंदर उपस्थिति दर्ज कराने के दिए गए निर्देश

उमरिया

शासकीय प्राथमिक विद्यालय मझौली कला , जनशिक्षा केंद्र उमावि बिलासपुर संकुल केंद्र शासकीय उमावि अखडार विकासखण्ड करकेली राम दयालल बैगा प्राथमिक शिक्षक 18 मार्च 2022 से आज दिनांक तक बिना किसी सूचना व अवकाश स्वीकृत कराए बिना ही पदांकित संस्था में लगातार अनुपस्थित रहने के संबंध में सूचना पत्र जारी कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु राम दयाल बैगा व्दारा आज दिनांक तक इस कार्यालय को तथा संकुल कार्यालय शासकीय उमावि अखडार को किसी भी प्रकार से उपस्थिति संबंधी सूचना नही दी गई ।

दहेज न देने पर घर से भगा देने की शिकायत आई सामने

कोतमा। क्षेत्र में आज भी दहेज दानवों द्वारा दहेज के लालच में प्रताड़ित किए जाने के मामले सामने आते हैं। नए मामले में कोतमा थाना अंतर्गत चंगेरी गांव में रहने वाली महिला जानकी को उसके पति और सास, ससुर के द्वारा दहेज कम लाने और गाड़ी खरीदने के लिए रुपए की डिमांड की गई जो न देने पर घर से भगा देने की शिकायत आई है। महिला के द्वारा अपने पिता के साथ थाना में पति व अन्य के खिलाफ शिकायत दी गई। पुलिस के द्वारा शिकायत उपरांत दोनों पक्षों को बुलाकर जांच कर रही है। महिला ने आरोप लगाया की मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर पैसे की मांग की जा रही है जिस

रोड में पड़ी गिट्टियों से मोटर साइकिल फिसलकर गिरी, युवक घायल

डिंडौरी । कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घानाघाट स्थित राइस मिल के समीप सड़क में पड़ी गिट्टियों से मोटरसाइकिल फिसलकर अनियंत्रित होने से गिरकर एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया गया है। अस्पताल चैकी पुलिस को दिए कथन में माहू सिंह कुशराम पिता भद्दू सिंह कुशराम निवासी ग्राम गीधा थाना गाड़ासरई ने बताया कि मैं मंगलवार को अपने चाचा शिवलाल कुशराम की मोटरसाइकिल से अकेला अपने घर ग्राम गीधा से डिंडौरी आ रहा था। शाम करीबन 4 बजे जैसे ही ग्राम घानाघाट स्थित राइस मिल के पास पहुंचा था कि उसी समय रोड में पड़ी गिट्टीयो के कारण मेरी मोटरसाइकिल फिसलकर अनियंत्रित हो गई और मैं मोटरसाइकिल समेत गिरकर घायल हो गया। मैं स्वयं उठा और उसी मोटरसाइकिल से अपने घर गीधा वापस लौट गया और परिजनों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिजनों द्वारा मुझे एक ऑटो से जिला चिकित्सालय लाकर उपचार हेतु भर्ती कराया गया। दुर्घटना में मुझे दाहिने माथा, भौं, गाल एवं दोनों हाथ में चोट लगी है।

सारंगपुर पड़रिया जलाशय के गेट बंद किए जाने की मांग

डिंडौरी। विकासखंड डिंडौरी अंतर्गत ग्राम सारंगपुर पड़रिया जलाशय के गेट बंद किए जाने की मांग को लेकर स्थानीय किसानों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया है। कलेक्टर को दिए आवेदन में किसानों ने बताया कि हमारे गांव सारंगपुर पड़रिया में वर्ष 2009-10 में सिंचाई के लिए जलाशय का निर्माण कराया गया था, लेकिन सही गेट न लगने के कारण बांध का पूरा पानी बहता रहता है। किसानों ने बताया कि बांध का पानी बह जाने से उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया की बांध के आसपास कंक्रीट भी नहीं कराया गया है। किसानों का कहना है कि जब से बांध बना है तभी से उन्हें अब तक कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जलाशय के में सही तरीके से गेट लगाकर बंद कराया जाए जिससे उन्हें सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिल सके। आवेदन देते समय त्रिलोक सिंह, विजय सिंह, मनोज धुर्वे, सरवन गोविंद सिंह समेत और किसान उपस्थित रहे।

पवित्र नगरी अमरकंटक में बेधड़क चल रहा है जुआं का कारोबार

अमरकंटक

मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक तीर्थ स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक में जुआं का खेल बेधड़क चल रहा है, जुआंडी अपना जगह बदल बदल कर इसको अंजाम देते हैं यह जुआं लाखों में खेला जाता है तथा इसमें शामिल होने के लिए अमरकंटक के युवा तथा बाहर से भी जुआंडी भाग लेने के लिए आते हैं उन्हें कहां आना है कहां पहुंचना है सब पता होता है जानकारी दे दी जाती है। अमरकंटक नगर में यह जुआं लंबे समय से खेला एवं खिलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बावन पत्तों का खेल जुआं पवित्र नगरी अमरकंटक में विगत दो-तीन वर्षों से लगातार चल रहा है इसमें कई घर के लोग युवा बर्बाद हो चुके हैं लेकिन फिर भी यह बंद होने का नाम नहीं ले रहा इसके पूर्व जुआंडी अपने अपने चौपाहियां वाहनों में कहीं पर भी दिन या रात में खड़े होकर इसको अंजाम देते रहे हैं खेलते रहे। इसका गत दिनों वीडियो वायरल होने के बाद तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बाद थोड़ा रुका हुआ था।

कलेक्टर ने हाईवे निर्माण कार्यप्रगति का किया निरीक्षण

डिंडोरी। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने आज बुधवार को निर्माणाधीन डिंडौरी से अमरकंटक नेशनल हाइवे के निर्माण कार्यप्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, एसडीएम बजाग वैधनाथ वासनिक, कार्यपालन यंत्री आरईएस विभाग, प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी चेतराम अहिरवार , निर्माण एजेंसी एवं ठेकेदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डिंडौरी से अमरकंटक के बीच राजमार्ग निर्माण का कार्य प्रगतिरत है, जिसके सम्बन्ध में निरीक्षण के दौरान सडक का स्टीमेट नक्शा के अनुसार निर्धारित मापदंड एवं पटरी एवं ग्राम कूंडा, गीधा आदि में गांव में निर्माणाधीन नाली के बाद बनने वाले स्लोप के सम्बन्ध में कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने 15 दिवस के अन्दर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि स्लोप उचित रूप से बनाकर दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य को पूरा करना है, तत्सम्बन्ध में अधिकारी उचित स्लोप बनाये और संरचना में सुधार करें। उन्होंने कहा कि कार्यपालन यंत्री आरईएस ट्रेकर एप्प के माध्यम से निर्माण कार्य की गुणवत्ता को विभागीय अभियंताओं के माध्यम से जांच करवाएं, साथ ही उन्होंने एसडीएम बजाग को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक 15 दिवस में राजमार्ग निर्माण की प्रगति का जायजा लेते हुए गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान चिन्हित पॉइंट में स्लोप उचित रूप से ठीक करें।

दवा सेवन अभियान की मॉनिटरिंग किए जाने बैठक संपन्न

उमरिया। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामूहिक दवा सेवन अभियान का अवलोकन एवं मॉनिटरिंग किए जाने हेतु बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एस बी चौधरी एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली के द्वारा मॉनिटरिंग टीम के सदस्य जयराम वेजीसीएफ दीपक मिश्रा उपस्थित रहे।
जिन्होंने जिले में क्रियान्वित अभियान की रूपरेखा एवं माइक्रो प्लान का अवलोकन किया गया साथ ही साथ केंद्र से आई हुई टीम द्वारा फाइलेरिया अभियान के संदर्भ में ब्लॉक पाली के वार्ड क्रमांक 2 अर्बन का भ्रमण किया एवं सामूहिक दवा सेवन के संदर्भ में घर-घर जाकर निरीक्षण एवं वासियों को इसके लाभ के संबंध में जानकारी दी गई। टीम द्वारा जिले में क्रियान्वित अभियान के संदर्भ में संतोष जनक कार्य पाया गया जिसके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया । कार्यक्रम में डॉ देवेंद्र मुख्य चिकित्सा एवं खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी के जैन, जिला कंसलटेंट रवि साहू,गौरव मिश्रा जितेंद्र ,संतोष सूर्यवंशी, काशी विश्वकर्मा ,चंद विश्वकर्मा दवा वितरण टीम के सदस्य प्रियंका वर्मा निधि वर्मा उपस्थित रहे।

बंदियों ने गंगा जल से स्नान कर क्षमा याचना मांग कर किया पुण्य अर्जित

उमरिया। जेल अधीक्षक डी.के.सारस ने बताया कि महाकुंभ प्रयागराज से गंगाजल लाकर बंदियो को भाव प्रदान करते हुए मन चंगा तो कठौती में गंगा कहावत को चरितार्थ करते हुए उनके स्नान कुण्ड मे गंगा जल प्रवाहित कर समस्त पुरूश एवं महिला बंदियो ने स्नान किया और अपराध नही करने का संकल्प लिया ।

धरती का गहना है, प्राण वायु देते हैं वृक्ष

युवा टीम ने पौधारोपण कर 'ग्रीन उमरिया' का दिया संदेश

उमरिया

पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ग्रीन उमरिया अभियान के तहत कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन पर जिले की सक्रिय युवाओं की टोली युवा टीम उमरिया के द्वारा ग्राम पंचायत सेमरिया में तीन फलदार व छायादार पौधे रोपण कर ग्रीन उमरिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। पर्यावरण मित्र हिमांशु तिवारी ने पौधारोपण करते हुए कहा कि वृक्ष प्राणवायु प्रदान करते हैं। सभी के लिए पौधारोपण करना और उसे बचाना बेहद जरूरी है।पेड़ ही जीवन है। पेड़ पौधों के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि पेड़ पौधे ना हो तो हम सब सांस नहीं ले सकते हैं इसलिए जीवन के लिए हम सब को संकल्प लेना चाहिए।प्रकृति के पोषण के लिए धरती माता और मानव जीवन के पोषण के लिए हमारी माताओं के बीच समानता दर्शाते हुए अपनी मां के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में एक पेड़ लगाने और धरती माता की रक्षा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।पौधारोपण के दौरान पर्यावरण मित्रहिमांशु तिवारी, पर्यावरण मित्र खुशी सेन,खुशबू बर्मन,लक्ष्मी महोबिया,साक्षी रैदास,काजल सोनकर,मुस्कान महोबिया व सभी उपस्थित रहे।

परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की चतुर्दिक परिधि के अंतर्गत निषेधाज्ञा पारित

उमरिया। माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री की स्वाध्यायी एवं नियमित परीक्षा 25 फरवरी 2025 एवं 27 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर 21 मार्च 2025 एवं 25 मार्च 2025 तक संचालित रहेंगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की चतुर्दिक परिधि के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत 25 फरवरी 2025 से 25 मार्च तक 2025 तक के लिए निषेधाज्ञा पारित की है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की चतुर्दिक परिधि के समीप किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र नहीं ले जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के अंदर ईंट, पत्थर, जिनमें उनके टुकडे भी सम्मिलित हैं, संग्रहीत नहीं करेगा, न ही करवाएगा, और न ही संग्रहीत कराने का दुष्प्रेरण करेगा। परीक्षा केन्द्र स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अंदर ड्यूटी में तैनात कर्मियों के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से प्रवेश नही करेगा। संपूर्ण उमरिया जिले अंतर्गत लाउड स्पीकर का उपयोग करना, डीजे बजाना, आतिशबाजी करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं आवश्यकतानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डातधिकारी की अनुमति उपरांत ही डीजे वाद्ययंत्र को छोडकर अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग धीमी गति से कर सकेंगे। यह आदेश कर्तव्य पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिसबल, सषस्त्र बल तथा परीक्षा कार्य सेवा से जुडे अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सफल होने पर अधिकारियों ने किया धन्यवाद ज्ञापित

उमरिया। नगर परिषद नौरोजाबाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम, विभिन्न निर्माण कार्यो का भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम तथा हितलाभ वितरण कार्यक्रम सफल एवं सुचारू रूप से संपन्न होने पर कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू तथा सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो, पत्रकारों, अधिकारियों , कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है ।

संगम रोजगार मेले का आयोजन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खलेसर में आज

उमरिया। डिप्टी कलेक्टर एवं जिला रोजगार अधिकारी अंबिकेश प्रताप सिंह ने बताया कि संगम रोजगार मेले का आयोजन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खलेसर में 21 फरवरी को सुबह 10.30 बजे से किया गया है। मेले मे सोनाटा माइक्रोफाइनेंस बैंक, एच डी बी फाइनेंस उमरिया, एलआईसी उमरिया, रिलायंस निकोन उमरिया, एसबीआई कार्ड, फोन पे, फिल्पकार्ट, अमेजन , पीटीएम डी मार्ट, ग्रेट आग्रेनिक डायमंड प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी भाग लेगी ।

27 फरवरी को मछुआ समितियों समूहों के पंजीयन के लिए शिविर

उमरिया।

सहायक संचालक मत्स्त्योद्योग ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृध्दि सह योजना अंतर्गत नेशनल फिशरीज डिजीटल प्लेटफार्म पर मत्स्य व्यवसाय से जुडे किसानो एवं संस्थाओं का पंजीयन किया जाना है । नेशनल फिशरीज डिजीटल प्लेटफार्म पर योजना के तहत ऋण सुविधा सहकारी समितियो का सशक्तिकरण, जलीय कृषि बीमा, प्रदर्शन अनुदान, ट्रेसेबिलिटी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि गतिविधियों के आवेदन भारत सरकार व्दारा प्राप्त किए जा रहे है । उन्होने बताया कि मत्स्य व्यवसाय में संलग्न मछुआ समितियो, समूहो, सदस्यों एवं हितधारको का पंजीयन एवं विभिन्न गतिविधियो हेतु सहकारी समितियो से आनलाइन आवेदन के लिए 27 फरवरी को सहायक संचालक मत्स्योद्योग उमरिया में प्रातः 10.30 बजे से शिविर आयोजित किया गया है ।

जिले की समस्त पात्र मछुआ सहकारी समिति, समूह के सदस्यों , नदी नालो मे मत्स्याखेट करने वाले मछुआरो से कहा है कि वे शिविर में आवश्यक दस्तावेज तथा व्यक्तिगत एवं समूह के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं स्वयं का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो एवं मछुआ समिति के पंजीयन के लिए समिति का पेन कार्ड एवं अध्यक्ष का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, को अनिवार्यतः लाएं । उन्होने कहा है कि दस्तावेज सहित उपस्थित होकर पंजीयन एवं समिति के ऋण हेतु आवेदन कर सकते है । अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग उमरिया से संपर्क किया जा सकता है ।

जमुना ओसीएम में अवैध कटाई का मामला

एसईसीएल की अधिग्रहीत भूमि पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ काटे गए, शिकायत दर्ज

बदरा/जमुना

ओपन कास्ट माइन हरद में एसईसीएल कंपनी की अधिग्रहित भूमि पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। यह घटना 17 फरवरी की शाम 5 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, खसरा नंबर 994/4 की 45 डिसमिल भूमि को 12 जून 1989 को एसईसीएल कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया था। यह भूमि पहले अनुज कुमार पिता बाबूलाल सिंह के स्वामित्व में थी, जिन्हें अधिग्रहण के बदले कंपनी में नौकरी और मुआवजा दिया जा चुका है। अधिग्रहण के बाद इस भूमि पर कंपनी द्वारा यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए गए थे। गुरुवार शाम को सूचना मिली कि इस भूमि पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों को रमाशंकर मिश्रा द्वारा अवैध रूप से कटवाया जा रहा है। जैसे ही कंपनी की सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने कटाई को रुकवाया, लेकिन तब तक कई पेड़ काटे जा चुके थे। कटे हुए पेड़ों की लकड़ियां अब भी घटनास्थल पर पड़ी हुई हैं। इस मामले को लेकर एसईसीएल के उप क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी कोतमा को लिखित शिकायत दी गई है। शिकायत में दोषी रमाशंकर मिश्रा के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। यह घटना कई सवाल खड़े करती है कि जब यह भूमि एसईसीएल कंपनी के अधिग्रहण में आ चुकी है और यहां लगाए गए वृक्ष भी कंपनी के स्वामित्व में आते हैं, तो इनकी अवैध कटाई कैसे हो रही है। क्या इसमें किसी स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति की मिलीभगत है। अब देखना यह होगा कि वन विभाग और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। अगर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचेगा।

किसानों को तत्काल धान का भुगतान किया जाये-अनिल गुप्ता

जैतहरी

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं विन्ध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने म०प्र० के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, कृषि मंत्री एंदल सिंह कसाना एवं कलेक्टर अनूपपुर को पत्र लिखकर मांग किया है कि जिले के हजारों कृषकों ने 23 जनवरी तक शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का विक्रय विभिन्न खरीदी केन्दो में किया है किन्तु किसानों को उनके विक्रय धान का मूल्य आज दिनांक तक अप्राप्त है। भाजपा नेता गुप्ता ने बताया कि प्रारंभ में विक्रय किये गये कृषकों को समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है किन्तु 70 प्रतिशत किसानों को आज दिनांक तक समर्थन मूल्य में विक्रय किये गये धान का विक्रय राशि अप्राप्त है। जिसके कारण किसान बदहाल एवं कर्ज के बोझ से दबा हुआ है तथा पुत्र-पुत्रियों के विवाह व अन्य सामाजिक कार्य नहीं कर पा रहा है। गुप्ता ने कहा कि अतिशीघ्र सभी किसानों को धान विक्रय की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए अन्यथा बाध्य होकर आंदोलन के लिए विवश होना पडेगा।

सड़क हादसों को रोकने हेतु चलाया जा रहा अभियान

कोतमा। गुरुवार को सूबेदार विनोद दुबे द्वारा कोतमा तथा आसपास क्षेत्र में एनाउंसमेंट कर बाजार को व्यवस्थित कराने के साथ-साथ सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य से ग्रामीण जनों से जानकारी ली गई एवं यातायात संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है।

खबर संक्षेप

मंत्रोच्चार के साथ कराया गया मंदिरों का शिलान्यास

कटनी। चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ चक्रवर्ती प.पू.मुनि पुंगव 108 सुधा सागर महाराज ने 24 मंदिरों का शिलान्यास मंदिर पुर्ण्याजकों को आर्शीवाद के साथ पूरे विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ कराया गया। कार्यक्रम का संचालन बाल ब्रम्हचारी प्रदीप भैया सुयश द्वारा किया गया पंचायत अध्यक्ष संजय जैन, विन्नी जैन, दीपू जैन, पंचम जैन, मनीष जैन बड्डे, शैलेन्द्र जैन-शैलू ने बतलाया कि चेतनोदय में 24 जिन मंदिरों का निर्माण समाज के श्रेष्ठीजनों के सहयोग से शीघ्र प्रारंभ हो रहा है जिसके पूरा होते ही अंन्तराष्ट्रीय जैन जगत में कटनी नगर का नाम धर्मनगरी के नाम से जाना जावेगा। दोपहर में महोत्सव में विभिन्न समितियों के सदस्यों द्वारा जो अथक प्रयास किये गये उसके लिए सभी समाजसेवियों का सम्मान समारोह मुनिश्री सुधा सागर महाराज के आर्शीवाद के साथ सम्पन्न हुआ तत्पश्चात कोतवाली टी.आई. आशीष शर्मा के साथ समस्त स्टॉफ के साथ मुनिश्री से आर्शीवाद लिया।

नगर निगम में आज होगा कन्या विवाह का आयोजन

कटनी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह /निकाह योजनांतर्गत नगर पालिक निगम कार्यालय परिसर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर निगमायुक्त नीलेश दुबे ने आदेश जारी कर सभी अधिकारी कर्मचारियों को पात्र वर वधु के विवाह संपादन हेतु प्रमाण पत्र वितरण, चेक वितरण, टेंट ,फूल-माला,पूजन सामग्री, पर्याप्त बैठक व्यवस्था, पेयजल, भोजन, विशेष साफ-सफाई, चूने की लाइन, मोबाइल टॉयलेट, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण इत्यादि के दायित्व सौंपते हुए सभी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए है।

धरे गये तीन जुआरी, 2150 रूपए नकदी जब्त

कटनी। स्लीमनाबाद पुलिस ने जुआ खेल रहे जुआरियों पर कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना के आधार पर सुखचैन चक्रवर्ती के घर के बाहर शारदा मंदिर के पीछे ग्राम तेवरी मे घेराबंदी कर जुआ फड़ में छापा मार कार्यवाही की। इस दौरान पुलिस ने रामकिशोर पिता पहलादी बसोर 33 साल, नीरज पिता ज्वाला प्रसाद मिश्रा 51 साल एवं जिया लाल पिता गोला आदिवासी 45 साल निवासी बिचुआ थाना को घेराबंदी कर तास पत्तो से हारजीत का दाव लगाकर जुआ खेलते पकडा। जिनके पास से 2150 रूपये एवं 52 तास पत्ते , 2 मोबाईल एवं 3 मोटर सायकिल जप्त करते हुये आरोपियो के विरूद्ध धारा 13 जुआ एक्ट, 49 बी एन एस के तहत कार्यवाही की गई ।

तिलक कॉलेज में दिया विद्यार्थियों को प्रशिक्षण

कटनी। प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कटनी में उच्च शिक्षा विभाग मप्र शासन द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के साथ स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बाजपेई के मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण समन्वयक डॉक्टर व्ही के द्विवेदी के सहयोग से जैविक कृषि विशेषज्ञ रामसुख दुबे द्वारा जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के क्रम में पौधप्रसारण के अंतर्गत फलों एवं फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए बीज या वनस्पति तरीको का प्रयोग किया जाता है इसकी दो विधियां हैं लैंगिक या बीज द्वारा प्रसारण तथा अलैंगिक या वानस्पतिक प्रसारण उनके गुण दोष लाभ तथा हानि की जानकारी दी गई।

जिला दण्डाधिकारी ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

जिले में 10वीं एवं 12वीं के 26837 विद्यार्थियों के इम्तिहान का समय

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने शिक्षा सत्र 2025 हेतु जिले में संचालित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश के हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल की 25 एवं 27 फरवरी 2025 से 25 मार्च 2025 तक संचालित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराने के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री यादव ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश वर्तमान मे विवाह एवं अन्य उत्सवों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होने से परीक्षाओं तथा विद्यार्थियों के विद्या अध्ययन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया है।

7 परीक्षा केन्द्रों संवेदनशील

जिले में कुल 97 परीक्षा केन्द्र है जिसमें 7 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील बनाया गया है। जिसमें पृथक से प्रेक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस

व्यवस्था की गई है। जिले में हाईस्कूल कक्षा 10 वीं में 14 हजार 926 नियमित एवं 655 स्वाध्यायी परीक्षार्थी एवं हायर सेकेण्डरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में 10 हजार 536 नियमित एवं 720 स्वाध्यायी परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे है।

100 गज की दूरी तक प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिलीप कुमार यादव द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा के दो घंटे के पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक अनाधिकृत व्यक्तियों के बेमतलब प्रवेश व घूमने, कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार प्रसार ऐसी वस्तुओं का उपयोग जिसका प्रयोग आक्रामक आयुध के रूप मे किया जा सकता है तथा अवांछनीय गतिविधियों पर परीक्षा केंद्र के 100 गज की दूरी के अंदर तक का क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि पर 5 या उससे अधिक लोगो की अनाधिकृत मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।

रात्रि 10 से 6 बजे नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार किसी भी अनुमत्य कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जा सकेगा। इस दौरान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन किया जाना जरूरी होगा, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र से अभद्र अपशब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि में 10 बजे तक ही किया जाए इसके पश्चात रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

दो माह प्रभावशील रहेगा आदेश

यह आदेश भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय जारी किया गया है। एक पक्षीय से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष अथवा अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से दो माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

अनियंत्रित बस पलटी, आधा दर्जन यात्रियों को आई चोटें

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब आधा दर्जन यात्रियों घायल हो गए। यह हादसा बुधवार को कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम द्वारा के पास हुआ। बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार लगजरी यात्री बस क्रमांक PY 04 A 2531 प्रयागराज से पांडिचेरी जा रही थी। सुबह तड़के बस कटनी कोतवाली के द्वारा ग्राम के पास ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया और बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यदि बस मे यात्री ज्यादा सवार होते तो बड़ा हादसा हो जाता, जो बस के पलटने से छोटे रूप में टल गया। घटना के बाद बस में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बस से बाहर निकला गया,सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया।

यातायात थाना प्रभारी राहुल पाण्डेय नें बताया कि बस पलटने की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को शासकीय जिला चिकित्सालय कटनी पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद यात्रियों को दूसरी बस से हैदराबाद के लिए रवाना किया। क्रेन बुलाकर पुलिस ने बस को सीधा करवाया और हादसे की जांच कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र द्वारा ग्राम के नेशनल हाइवे की घटना थी जिन्हें दूसरी बस से हैदराबाद के लिए रवाना किया। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र द्वारा ग्राम के नेशनल हाइवे की हैं।

गौशाला एवं जैविक कृषि फार्म का कराया गया भ्रमण

स्व सहायता समूह की महिलाओं को संरक्षित खेती का दिया गया प्रशिक्षण

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

मप्र शासन ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान कटनी द्वारा विकासखंड बहोरीबंद के लखनवारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम लिंगरी में स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रबंधक पवन कुमार गुप्ता की मार्गदर्शन में प्रशिक्षक रामसुख दुबे द्वारा जैविक सब्जी उत्पादन एवं नर्सरी प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को संरक्षित खेती के अंतर्गत पाली हाउस प्लास्टिक मल्चिंग ड्रिप एवं

सप्रिंकलर से सिंचाई फर्टिगेशन आदि का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया इसके पश्चात श्याम श्री गौशाला एवं जैविक कृषि फार्म तेवरी का भ्रमण प्रशिक्षक रामसुख दुबे द्वारा कराया गया। शासन के निरंतर प्रयास से कृषि को लाभ का धंधा बनाने कम लागत तकनीक जीरो बजट फार्मिंग के अंतर्गत गोबर गोमूत्र का जैविक खेती में उपयोग केंचुआ खाद निर्माण की सामान्य एवं चार गड्ढा विधि तथा वर्मी वाश निर्माण एवं फसलों में उनके उपयोग प्रकाश खाद एवं ईंधन प्रयोग के लिए बायोगैस संयंत्र, जैविक खाद का फसल में उपयोग का अवलोकन कराया गया।

कृषक पवन कुमार पांडेय द्वारा गौशाला प्रबंधन गोमूत्र एकत्रित करने का तरीका गायों की विभिन्न नस्ल गीर, साहिवाल, हरियाणा, गंगा, तीर आदि का अवलोकन तथा दुग्ध उत्पादन की जानकारी दी गई। इस दौरान संतुलित पशु आहार चारा विभिन्न रोग उनके नियंत्रण तथा टीकाकरण की जानकारी भी दी गई । जैविक गेहूं ,गन्ना, आलू ,प्याज एवं अन्य सब्जियों तथा गन्ना से गुड़ निर्माण का अवलोकन कराया गया। भ्रमण के समय संस्था के कर्मचारी अनुपम पांडे तथा सरपंच सुखचौन बाई, राजू राजपाल ने सहयोग किया।

कथा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की अपार संख्या

चन्नोडी

प्राप्त जानकारी अनुसार बजरंग धाम नेमुहा में सार्वजनिक श्री राम कथा यज्ञ महोत्सव का आयोजन हनुमत धाम भक्त नेमुहा के द्वारा किया जा रहा है 26 फरवरी तक चलने वाली कथा में आज राम जन्मोत्सव और कल बाल लीला के साथ मिथिला प्रस्थान का प्रसंग होगा,कथा नित्य अपराह्न 3 बजे से प्रारंभ होती हैं प्रताप गढ़ उत्तर प्रदेश से पधारे व्यास पीठश्री बाल कृष्ण पांडेय जी महाराज पट्टी दिलीपपुर के मुखारविंद से ग्रामीण जन कथा श्रवण कर मंत्र मुग्ध है समिति के सदस्यों ने जनता जनार्दन श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कथा श्रवण करे

बिचपुरा में मनाया गया आनंद उत्सव

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बरही

मप्र जन अभियान परिषद विकासखंड बड़वारा द्वारा चयनित नवांकुर संस्था नव प्रेरणा जन जागृति समिति बिचपुरा के द्वारा चयनित आदर्श ग्राम बिचपुरा के दादर टोला में माध्यमिक स्कूल प्रांगण में आनंद उत्सव कार्यक्रम मनाया गय जिसमें नवांकुर संस्था से सचिव रवि शंकर रजक के द्वारा चयनित आदर्श ग्राम बिचपुरा लिए गए मुख्य बिंदु समग्र स्वच्छता अभियान संकल्प को पूरा किया जाना एवं समस्त शासकीय एवम जन कल्याण कारी योजनाओं का क्रियान्वयन को शत प्रतिशत ग्राम स्तर परपूरा किए के लक्ष्य 2 वर्ष में किया की जानकारी दी गई। ग्रामीणों से सहयोग अपेक्षा की गई तदोपरांत विकासखंड समन्वयक नंदिनी वाटिया के द्वारा आदर्श ग्राम की

परिकल्पना को लेकर ग्राम के समग्र विकास पर चर्चा की गई साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए गांव में शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता जल संरक्षण सहित अन्य कार्य को जन भागीदारी के साथ कर किया जा सकते हैं उनकी कार्य योजना को जन भागीदारी द्वारा पूरा किए जाने को कहा गया। संगोष्ठी उपरांत लोक नृत्य सामूहिक ग्राम वासियों के साथ प्रस्तुत किया गया एवं बच्चों द्वारा गीत नृत्य किया गया कार्यक्रम का आभार सेक्टर परामर्शदाता दुर्गा प्रसाद केवट द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सीएमसीडीपी bsw /msw के स्टूडेंट आरती रजक ,प्रियंका सिंह ,ओम प्रकाश मिश्रा ,सागर दहिया पूजा गुप्ता अर्पण विश्वकर्मा ,सिद्धार्थ गुप्ता श्रुति तिवारी ,रोहित रजक ,दीपेंद्र उपाध्याय एवं समस्त ग्रामवासी की ग्राम वासियों की उपस्थिति रही नो प्रेरणा जन जागृति संस्था बीजपुर अध्यक्ष रामावतार कोल सचिव रवि शंकर मौजूद रहे।

बड़वारा पुलिस ने शराब की अवैध बिक्री करने वालों पर की कार्रवाई

अलग अलग ठिकानों से 52 लीटर अवैध शराब जब्त, 10 आरोपित हुए गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

बड़वारा पुलिस करीब एक दर्जन ठिकानों में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की है।इस दौरान 10 आरोपियों को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है जिनके पास से 52.38 लीटर अवैध शराब जब्त की गई।

जानकारी देते हुए बड़वारा थाना प्रभारी किशोर कुमार द्विवेदी ने बताया कि उक्त कार्रवाई एसपी अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया एवं उप पुलिस अधीक्षक उमराव सिंह के मार्गदर्शन में की गई। कार्यवाही का नेतृत्व थाना प्रभारी बड़वारा उ.नि. के. के. द्विवेदी के द्वारा किया गया।

कार्यवाही के दौरान विमल सिंह

ठाकुर 33 साल निवासी पौड़ी के पास 23 पाव देशी प्लेन शराब जप्त की। दिनेश कुमार रजक 35 साल निवासी सकरीगढ़ के पास से 20 पाव देशी प्लेन शराब, सुकरती बाई कोल पति स्व. नत्थूलाल कोल 50 साल निवासी भदौरा न0 2 के पास से 22 पाव देशी प्लेन शराब। संतराम पाल पिता पल्टूराम पाल उम्र 42 साल निवासी बसाड़ी के पास से 25 पाव देशी प्लेन शराब। मोहम्मद जलील पिता मोहम्मद हनीफ उम्र 38 साल निवासी चपहनी के पास से 25 पाव देशी प्लेन शराब। रख्खी पिता झब्बू केवट उम्र 20 साल निवासी बसाड़ी के पास से 21 पाव लाल मसाला शराब। अच्छेलाल पिता ज्ञानीराम उम्र 48 साल निवासी खरहटा के पास से 30 पाव देसी प्लेन शराब। प्रीतम सिंह गोड़ पिता रामलाल गोड़ उम्र 53 साल निवासी ठुठिया सलैया के पास से 35 पाव देसी प्लेन शराब एवं धनैया चौधरी पिता संतोखिया चौधरी उम्र 28 साल निवासी गुड़ाकला के पास से 50 पाव देसी प्लेन शराब। तथा सतेन्द्र कुमार पटेल पिता वृंदावन पटेल उम्र 62 साल निवासी गणेशपुर के पास से 40 पाव देसी प्लेन शराब जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

कार्रवाई में थाना प्रभारी बड़वारा उनि. के. के. द्विवेदी, उनि. प्रदीप जाटव, सउनि. महेश प्रताप सिंह, रघुबीर सिंह, सतेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह प्र.आर. के.के. शुक्ला, आर. आशीष तिवारी, आर. दीपक सिंह, आर. चालक शिव प्रकाश तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सूचना देने के बाद भी समस्याओं का नहीं किया गया समाधान

अपनी मांगों को लेकर 36 घंटे भूखे रहकर ट्रेनों का संचालन करेंगे कर्मचारी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों एवं समस्याओं का निराकरण करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्णय के पटना सेंट्रल बीजीएम के अनुसार भारत के संपूर्ण लोको रनिंग स्टाफ देश भर की सभी 367 लावियों पर 36 घंटे के हंगर फास्ट पर भूखे रहकर स्वयं को कष्ट देकर रेलगाड़ियों का संचालन करेंगे। जब सरकार छठवें पे कमीशन से निर्मित की गई एनामली को दूर नहीं कर रही और माइलेज का रेट 1 जनवरी 2024 से ट्रैवलिंग एलाउंस के सापेक्ष 25% बढ़ाकर नहीं दे रही है तब कोई भी कर्मचारी नियोक्ता से ना तो लड़ सकता है ना ही पकड़ करके अपने परिश्रम के पैसे का मूल्य प्राप्त कर सकता है।

ये हैं प्रमुख मांगें

1. माइलेज का रेट **RAC** 1980-81 के अनुसार दिया जाय,
2. माइलेज रेट के परिवर्तित होने पर नियमानुसार माइलेज पर आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई जाय,
3. 01.01.2024 से **TA** के बढ़े रेट के अनुसार माइलेज रेट निर्धारित किया जाय,
4. **LPG/LPP/LPM/LPM (HS)** के ग्रेड को उसके कार्य में अन्तर के अनुसार 6**TH** वेलन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाय,
5. 7**TH** वेतन आयोग ने **ITI** को डिप्लोमा के समकक्ष कहा है इसलिए **ALP** के ग्रेड पे नियमानुसार सुधार किया जाय,
6. साप्ताहिक विश्राम 30 घण्टे को मेरे समान्य कार्यकारी विश्राम 16 घण्टे के अतिरिक्त दिया जाना चाहिये ॥
7. हमारे कार्य में किसी भी प्रकार का मध्यावधि विश्राम नहीं है इसलिये **ILO** तथा श्रम कानून 1948 के अनुसार कार्य की अधिकतम सीमा 06 घंटे निर्धारित करें ।।।
8. 8 घण्टे से अधिक ड्यूटी होने पर रनिंग रूम में ड्यूटी के बराबर और मुख्यालय में ड्यूटी के दो गुने के बराबर न्यूनतम विश्राम निर्धारित होना चाहिए ।
9. लोको में **FSD**, **TOOL BOX**, **LONG FOCUS HEAD LIGHT**, बड़े **DIGITS** के **LP&ALP** के सामने स्पीड रिपीटर, लुकबेक मिरर, सिग्नल एक्सचेंज लैम्प, सीढ़ी और हथरोल नीचे की ओर बढ़ाएं, इलेक्ट्रॉनिक **TSD**, थर्ड पार्टी सीट, सभी लोको और रोलिंग स्टाक के भागों के (डिजाइन, कार्य, स्थान और ट्रबल शूटिंग) को एक समान करें, लोको कैब के डेस्क पर रीडिंग लैम्प लगाएँ, लुकआउट ग्लास पर **ADJUSTABLE** पर्दे को लोको में लगायें ।
10. मुख्यालय पार कराना बंद करें ।

मंडल स्तरीय मुख्य समस्याएँ

1. हेडक्वार्टर ओवरशूट ना करवाया जाए तथा राउंड ट्रिप में घर वापस लाया जाए।
2. क्रू को 16+30=46 घण्टे का साप्ताहिक विश्राम दिया जाए।
3. भोपाल डिपो के क्रू स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए ताकि गाड़ी कार्य कराने के लिए अन्य लाबी से भोपाल क्रू बैलेन्स के लिए नहीं लाने पड़े तथा प्रमोशन में स्थानांतरण के कारण रेल्वे को हो रहे आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके ।
4. सभी रनिंग रूम से मुख्यालय की ही गाड़ी लगाई जाए ।
5. सेक्शन कंट्रोलर की वर्किंग को ऑब्सर्व किया जाए तथा स्टॉफ से 12 घण्टो की वर्किंग करवाने की मानसिकता को समाप्त किया जाए जिससे क्रू का अधिकतम उपयोग कराकर रेल्वे की ऑपरेटिंग कास्ट को कम किया जा सके एवं क्रू को उचित विश्राम मिल सके।
6. क्रू चेंजिंग पॉइन्ट पर 7 घण्टे होने पर क्रू को रिलीव किया जाए जिससे सेक्शन में क्रू के स्पेयर वर्किंग को कम कर क्रू तथा लोको और रोलिंग स्टाक का अधिकतम उपयोग किया जा सके जिससे उर्जा खपत को भी कम करने में मदद मिल सके ।
7. भारतीय लोको पायलट के कार्य के घण्टे मालगाड़ी में 8 घण्टे एवं मेल पैसेंजर में 6 घण्टे अधिकतम सीमित किया जाना चाहिए क्योंकि अधिक घण्टों की वर्किंग तनावपूर्ण रहती हैं जिस कारण क्रू कई बीमारियों से ग्रसित हो कर **Unfit** हो रहे हैं।
8. प्रशासनिक कारणों से क्रू को होने वाले आर्थिक नुकसानों की विवेचना कर उन्हें उनकी पूर्ति कर उचित कार्य का उचित दाम दिया जाना सुनिश्चित किया जाए यदि क्रू को उसके कार्य का उचित दाम दिया जाएगा तो वह शतप्रतिशत दक्षता के साथ काम करेगा।
9. रेल्वे बोर्ड के पत्र के अनुसार 12:00 बजे के बाद विश्राम पूर्ण होने पर भी उस दिन की लीव लगवाई जा रही हैं। जबकि **cms** पर उस दिन की लीव नहीं लगती, लेकिन **HRMS** से काट ली जाती हैं।

ऐसी स्थिति में जब कर्मचारियों के सामने कोई विकल्प न हो तो वह स्वयं को कष्ट देकर भूखा रहकर गाड़ियों का संचालन करने के लिए सरकार द्वारा बाध्य किया गया है। क्योंकि सरकार को समय से पूर्व सूचना दी गई। पटना केंद्रीय बीजीएम के बाद स्पष्ट रूप से भारत सरकार रेल मंत्रालय को सूचित किया गया कि हमारे ग्रीवेंस हल करने की कृपा कीजिए।

अभी भी 21 दिन पहले सूचना दी गई कि आप समस्या समाधान कर देंगे तो हम हंगर फॉस्ट नहीं करेंगे। पर सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई।

बड़वारा में सामूहिक विवाह सम्मेलन 7 मार्च को होगा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बड़वारा

बड़वारा कार्यालय जनपद पंचायत बड़वारा में मुख्य मंत्री कन्याविवाह योजनान्तर्गत 7 मार्च को सामूहिक विवाह का आयोजन सम्पन्न कराया जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में विवाह योग्य जोड़ों का भलीभांति परीक्षण कराकर संबंधित पंचायत समन्वयक अधि./सहा.वि. अधि. या अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी से जाँच करा कर उनके आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे तिथि निर्धारित कर सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया जा सके। विवाहित जोड़ों के उम्र सबंधी सत्यापन हेतु उनके दस्तावेज अवश्य संलग्न किये जावे तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि विवाह तिथि को कन्या का आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा विधवा होने की दशा में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे, परित्यक्ता होने की दशा में परित्यक्ता का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।

शासन के आदेशानुसार पात्र कन्या को विवाह उपरांत रु 49000/- का चैक प्रदाय किया जावेगा मुख्य मंत्री कन्यादान आवेदन जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश 1. कन्या की आयु 18 वर्ष से कम न हो (आयु सत्यापन हेतु दस्तावेज संलग्न करें) 2. वर की आयु 21 वर्ष से कम न ही (आयु सत्यापन हेतु दस्तावेज संलग्न करें) 3. कन्या एवं बर की समग्र आई डी अवश्य अंकित हो (समग्र आई की पत्रक संलग्न करे। 4. कन्या एवं वर के निवास में शौचालय निर्मित होने का सरपंच का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करे । 5. कन्या के बैंक खाते की पारा बुक की छाया प्रति संलग्न हो पिता / अभिभावक की नहीं होना चाहिये। जिससे राशि अन्तरण करने में असुविधा न हो।

पेंट्रीकार में पहुंचे डीसीएम तो मचा हड़कंप, खाद्य सामग्रियों को जांचा-परखा

अनूपपुर। उत्कल ट्रेन रोजाना की तरह बुधवार को भी बिलासपुर स्टेशन पहुंची। लेकिन उत्कल ट्रेन के पेंट्री कार में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रेलवे मंडल वाणिज्य प्रबंधक (डीसीएम) एस. भारतीयन के नेतृत्व में मंडल वाणिज्य विभाग की टीम उत्कल के पेंट्रीकार में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गई। मंडल वाणिज्य प्रबंधक (डीसीएम) एस. भारतीयन के नेतृत्व में टीम ने उत्कल एक्सप्रेस के पेंट्रीकार के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी तिथि, रेट लिस्ट की उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक मानकों की गहन जांच की। साथ ही खानपान सामग्रियों के सुरक्षित भंडारण से संबन्धित विभिन्न उपकरणों हॉट केस, बायलर, बॉटल कूलर इत्यादि की सही स्थिति की उपलब्धता की भी जांच की। मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री भारतीयन ने पेंट्रीकार कर्मियों को स्वच्छता बनाए रखने एवं यात्रियों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने व रेल नीर के अलावा अन्य ब्रान्ड का पानी नहीं बेचने की सख्त भी हिदायत दी।

डिजिटल टिकट के लिए किया जागरूक

वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के निर्देशन में मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री भारतीयन के नेतृत्व में स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री भारतीयन ने अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु एटीवीएम (ऑटोमेटेड टिकट वेंडिंग मशीन) एवं यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग की सुविधा के बारे में यात्रियों को जागरूक किया। यात्रियों को इन डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग से होने वाले लाभों जैसे समय की बचत और लंबी कतारों से मुक्ति की जानकारी दी गई।

सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण में जिले को मिला प्रथम स्थान

कलेक्टर ने पूरी टीम को बधाई देते हुए की सराहना

अनूपपुर। सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप अनूपपुर जिला स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान अर्जित किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. वर्मा ने बताया है कि 83.42 वेटेज स्कोर के साथ अ ग्रेड प्राप्त कर अनूपपुर जिले की रैंकिंग प्रथम रही है। स्वास्थ्य विभाग की इस उपलब्धि के लिए कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने इस तरह के प्रयास आगामी समय में भी जारी रखने की अपेक्षा की है।

प्रसाद योजना के तहत नर्मदा के रामघाट में बन रहा झूलापुल

15 मार्च तक पूर्ण होने की संभावना

अप्रैल से आम जन मानस को आवागमन हेतु होगा सुलभ

अमरकंटक। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक तीर्थ स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक के पतित पावनी पुण्य सलिला मां नर्मदा के पावन तट रामघाट में सौंदर्य करण के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त निधि प्रसाद योजना के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा राम घाट के उत्तर तट से दक्षिण तक को जोड़ने वाला 10 करोड रुपए की लागत से निर्मित किया जाने वाला झूला पुल जिसका 90% कार्य पूर्ण हो गया है 15 मार्च तक शेष कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल के द्वारा शासन की महिती योजना के तहत प्रसाद योजना में सौंदर्यीकरण के लिए विकास कार्यों में झूला पुल का निर्माण इंदौर की एपिकॉन इंडस्ट्री द्वारा 10 करोड रुपए की लागत से किया जा रहा है उक्त पुल का निर्माण कार्य लगभग 90% तक पूर्ण हो गया है शेष 10% निर्माण कार्य 15 मार्च तक कर लिए जाने की उम्मीद है। उक्त झूला पुल के निर्माण से अमरकंटक नगर का एक ऐतिहासिक चौमुखी विकास का क्रम माना जा रहा है उक्त झूला पुल के निर्माण होने से अमरकंटक नगर का विकास में तथा सुंदरता में चार चांद लग जाएगा इससे पर्यटकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका होगी।

मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के शहडोल संभागीय सहायक यंत्री एवं प्रभारी अमरकंटक सोमपाल सिंह ने बताया कि उक्त झूला पुल का निर्माण 15 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा इसे अति शीघ्र स्थानीय नगर परिषद अमरकंटक को कार्य संचालन हेतु सौंप दिया जाएगा उन्होंने संभावना जताई कि अप्रैल माह से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा जिससे पर्यटक तीर्थ यात्री एवं जनता इसका लाभ ले सकेंगे झूला पुल से आवागमन हेतु बहुत ही कम शुल्क स्थानीय प्रशासन निर्धारित कर लेगी। झूला पुल के निर्मित होने से अमरकंटक के विकास एवं सौंदर्य में एक कड़ी के रूप में देखा एवं माना जा रहा है इससे अमरकंटक का पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा तथा पर्यटक यात्री अधिक संख्या में यहां आएंगे इस तरह के विकास से पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

मालगाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, पटरी से उतरा गार्ड का डिब्बा

अनूपपुरु। जिले के बिजुरी रेलवे स्टेशन में गुरूवार 20 फरवरी की सुबह लभभग 9 बजे प्लेट फार्म क्रमांक 4 में डोमन हिल चिरमिरी से बिरसिंहपुर पाली पावर प्लांट जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी के गार्ड डिब्बा अचानक ट्रैक से नीचे उतर गया। इस दौरान मालगाड़ी में लोड कोयला रेलवे ट्रैक पर फैल गया। जिसके कारण इस रूट पर आने वाली 3 यात्री गाड़ी प्रभावित हुई। घटना की सूचना मिलने के पश्चात रेल अधिकारी एवं कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच कर पटरी से नीचे उतरे गार्ड डिब्बे को कई घंटे की मशक्कत के बाद फिर से पटरी पर लाया जा सका। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक पर फैले हुए कई टन कोयले को घंटो की मशक्कत के बाद रेलवे ट्रैक से हटाया गया। जिस समय यह दुर्घटना हुई प्लेटफार्म क्रमांक 3 पर अंबिकापुर-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस आना निश्चित था, लेकिन ट्रैक पर कोयला बिखरे होने के कारण उक्त ट्रेन 20 मिनट तक प्रभावित हुई। जिसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस ट्रेन को लाया गया। इसके साथ ही इसी प्लेटफार्म पर आने वाली दो और यात्री ट्रेन चिरमिरी-चंदिया, अंबिकापुर-निजामुद्दीन सुपरफास्ट ट्रेन भी एक घंटे से अधिक विलंब हुई।

पुलिस अधीक्षक जबलपुर को दो सप्ताह की मिली नोटिस

अनूपपुर। उच्च न्यायालय का आदेश पालन नहीं करने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश, मामला सेना से सेवानिवृत्त होकर पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ा है। याचिका कर्ताओं ने सेना में अपनी सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात जिला पुलिस बल में भर्ती हुए थे। स्थानीय शासन नियम दो के तहत पूर्व सैनिक की पूर्व सैन्य सेवा अवधि को वर्तमान सेवा अवधि से जोड़कर वेतन वृद्धि दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में लाभ प्राप्त नहीं होने पर आवेदक अम्बरीष प्रसाद शुक्ला आरक्षक बरेला चौकी, अरुण कुमार द्विवेदी आरक्षक गोरा बाजार, कौशल प्रसाद पटेल आरक्षक पुलिस लाइन, मोहम्मद आशिक यातायात घमापुर, गिन डी सिंह बरकदे ने जबलपुर उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या डब्लूपी 28467/2023 एवं रिट याचिका संख्या 28677/2023 प्रस्तुत की थी। याचिका का निराकरण करते हुए उच्च न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक तीन अर्थात पुलिस अधीक्षक जबलपुर को निर्देश जारी किया था कि तीन माह के अंदर याचिका कतार्ओं के आवेदन पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए कार्यवाही करें, समय बीत जाने पर जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आवेदकों ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या सीओएनसी 1393/2024, और सीओएनसी 1329/2023 पुलिस अधीक्षक जबलपुर के विरुद्ध प्रस्तुत की थी जिसमें सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दिनांक 01/05/2024, 03/05/2024 को नोटिस जारी किया था, इसके बाद भी आवेदकों को लाभ प्रदान नहीं किया गया। 17/02/2025 को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को दो सप्ताह का समय देते हुए निर्देश दिए हैं कि दो सप्ताह में अगर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया तो दिनांक 03/03/2025 को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने रखा।

जिले में तीसरे दिन की गई गिद्धो की गणना, मिले 401 गिद्ध एवं गिद्धों के मिले 114 घोंसला

तीन दिनों में 1226 गिद्धों की हुई गणना

पेड़ों एवं चट्टानों में पाये गये 316 घोंसला

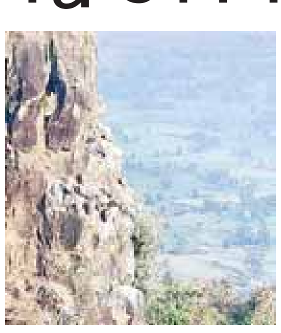

अनूपपुर। मध्यप्रदेश के वनविभाग के निदेर्शानुसार पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी अनूपपुर वनमंडल अंतर्गत सभी सात वन परिक्षेत्रों में 17-18 एवं 19 फरवरी को तीन दिवसीय विलुप्त होते गिद्धों के संरक्षण हेतु गिद्धों की गणना का कार्य किया जा रहा है जिसमें अहिरगवां वन परिक्षेत्र के कठौतिया पूर्व, कठौतिया पश्चिम एवं जुगवारी बीट, अनूपपुर वन परिक्षेत्र के बड़हर, किरर एवं औढेरा बीट के जंगलों में दो प्रकार के भारतीय एवं सफेद प्रजाति के गिद्ध जो विभिन्न प्रकार के पेड़ों तथा चट्टानों में घोंसला बनाकर निवास कर रहे हैं मिले हैं गिद्धों की गणना में वनविभाग के वन परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र सहायक, वनपाल, वनरक्षकों के साथ सुरक्षाश्रमिकों एवं स्थानीय जनों का सहयोग लिया गया गिद्धों की गणना सूर्योदय होते ही सुबह 6 बजे से गिद्धों के घोषला या चट्टानों में बनाए गए रहवास क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से निकल कर सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करते बैठे समय ही गणना की गई विगत वर्षों से ज्यादा संख्या में तीसरे दिन की गणना में गिद्ध प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिले हैं तीसरे दिन वन परिक्षेत्र अनूपपुर के बडहर बीट में भारतीय एवं सफेद गिद्धो में से 29 भारतीय गिद्ध एवं 2 सफेद गिद्ध के साथ 7 अवयस्क गिद्धों के साथ 38 गिद्ध प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिले जबकि 15 घोसला चट्टानों में देखने को मिले जबकि किरर बीट में 19 फरवरी को 8 वयस्क एवं 2 अवयस्क भारतीय प्रजाति के गिद्ध तथा 6 घोसला चट्टानों में आवास चट्टान में होना पाया गया इसी तरह औढेंरा बीट के जंगल में 19 फरवरी को 5 वयस्क, 2 अवयश्क गिद्ध दिखे जबकि 7 चट्टानों में घोंसला मिले इसी तरह वन परिक्षेत्र अहिरगवां के कठौतिया पूर्व, कठौतिया पश्चिम एवं जुगवारी बीट के जंगल में 19 फरवरी को 267 वयस्क गिद्धों के साथ 79 अवयश्क गिद्ध कुल 346 गिद्ध गणना के दौरान दिखाई दिए जबकि चट्टानो एवं पेड़ों में 86 घोंसला देखने को मिले तीनों दिनों में अनूपपुर वन परिक्षेत्र के बडहर, किरर एवं औढेंरा बीट में 193 गिद्ध एवं 77 घोसला मिले हैं जबकि वन परिक्षेत्र अहिरगवां के कठौतिया पूर्व, कठौतिया पश्चिमी एवं जुगवारी बीट में तीन दिनों के मध्य 1033 गिद्धों की संख्या एवं उनके 239 घोंसला रहवास क्षेत्र मिले इस तरह अनूपपुर वन मंडल में तीन दिनों की गणना दौरान 1226 भारतीय एवं सफेद प्रजाति के गिद्ध गणना के दौरान प्रत्यक्ष रूप से दिखे जबकि गिद्धों के पेड़ों तथा चट्टानों में बनाए गए 316 घोंसला प्रत्यक्ष रूप से देखा गया पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष गिद्ध गणना दौरान दोनों वन परीक्षेत्र में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तीन दिनों की गणना में प्राप्त संख्या के आधार पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी गिद्धों की गणना अनूपपर वन मंडल के सभी सात वन परिक्षेत्र के सभी वन बीटो में सघन तौर पर किया जा रहा है जबकि वन परिक्षेत्र अहिरगवां में पूर्व वर्षों की तरह अधिक संख्या में तथा अनूपपुर वन पर क्षेत्र में भी पूर्व की तरह अधिक संख्या में गिद्धों की उपस्थित मिल रही है अन्य पांच वन परिक्षेत्र राजेंद्रग्राम, अमरकंटक, जैतहरी, कोतमा एवं बिजुरी में सघन गणना कार्यक्रम दौरान गिद्धो की उपस्थिति नहीं मिली है।

पुलिस चौकी फुनगा द्वारा मवेशी सहित मशरूका जप्त कर की गई कार्यवाही

अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के द्वारा जिला अनूपपुर में चलाए जा रहे अवैध पशु परिवहन पशु क्रूरता अभियान के तहत एसडीओपी कोतमा व थाना प्रभारी भालूमाड़ा संजय खलको के दिशा निर्देशन में अवैध रुप से पिकअप में ठूस तूस कर लोड कर ले जाने वाले आरोपियो पर कार्यवाही की गई है। 18 फरवरी को जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान प्र0आर0 48 सुजीत सिंह चौकी फुनगा द्वारा बताया गया कि मुखबिर सूचना मिली है कि पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 18 सी 1254 में भैंस पड़ा लोड कर अवैध रूप से परिवहन करते हुये धुरवासिन तरफ से फुनगा की ओर आ रहा है की सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह को साथ लेकर ग्राम फुनगा पुलिस चौकी फुनगा के पास एनएच 43 मैंन रोड़ पर नाका बंदी किया तभी कोतमा तरफ से एक पिकअप वाहन आते दिखा जिसे रोकने का प्रयास किया गया जो पुलिस को देखकर पिकअप वाहन चालक गाड़ी को वापस मोड़कर डिवाइडर के पास से भागने का प्रयास किया तभी पिकअप वाहन डिवाईडर से टकराने के कारण दाहिने तरफ का टायर फटने व गाड़ी का शीसा टूटने पर पिकअप वाहन चालक पिकअप खड़ा कर अंधेरे का लाभ लेकर मौके से भाग निकला जिनकी स्टाफ व गवाहों की मदद से पता तलाश किया जो नहीं मिले बाद पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 18 सी 1254 को चेक करने पर वही पिकअप नंबर था जो मुखबिर द्वारा बताया गया था। पिकअप में 06 नग भैंसा (पड़वा) को कम जगह में ठूस ठूस कर क्रूरता पूर्वक लदे मिला पिकअप में मवेशियो को खाने के लिये चारा व पीने के लिये पानी की कोई व्यवस्था नही थी। पिकअप में मवेशियों के पैरो को रस्सी से बांधकर पिकअप के ऊपर बाड़ी में क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा गया है। पिकअप मे लदे मवेशियो को गवाहों के समक्ष चौकी परिसर में लाकर पिकअप से मवेशी उतरवाकर चालक मोहम्मद कलाम निवासी केशवाही चौकी केशवाही थाना बुढ़ार एवं वाहन मालिक व मवेशी मालिक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया पशु क्रूरता अधि. की धारा 11(घ), म.प्र. कृषक पशु परि. अधि. की धारा 4,6,6 (क),9,10,11 एवं माल वाहक में मवेशियो का परिवहन करने से धारा 66/192अ एमव्ही एक्ट का अपराध पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी के नेतृत्व में उप निरीक्षक राघव बागरी, प्र० आर 48 सुजीत सिंह, आर 217 प्रवीण भगत, आर. 345 राकेश कनासे, आर. 348 बीरसिंह पाल शामिल रहे।

खांडा के सरपंच सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, पटवारी को हटाए जाने की मांग

अनूपपुर

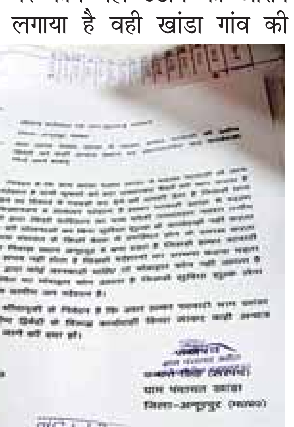

अनूपपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खांडा सरपंच कमला सिंह एवं ग्रामीणों के साथ महिला बड़का बाई ने खांडा में पदस्थ पटवारी प्रवीण द्विवेदी पर आम जनो एवं कृषको को विभिन्न तरह के दस्तावेजों में सुधार एवं अन्य कार्यों को कराए जाने पर पैसों की मांग करने, नहीं दिए जाने पर रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर देने की धमकी देने फौती, नामांतरण, नक्शा तर्मीम आदि का कार्य बिना सुविधा शुल्क के नहीं करने ग्राम पंचायत में आयोजित आवश्यक बैठकों में उपस्थित नहीं होने, पटवारी हल्का मुख्यालय में ना रहकर जिला मुख्यालय अनूपपुर में रहने आम जनों, कृषकों के आवश्यक कार्य पड़ने पर फोन करने पर फोन नहीं उठाने का आरोप लगाया है वही खांडा गांव की निवासी बड़का बाई ने पटवारी पर जांच प्रतिवेदन के नाम पर 10000 की मांग किए जाने नहीं दिए जाने पर रिकॉर्ड में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए अनूपपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर तत्काल जांच कराते हुए कई वर्षों से पदस्थ पटवारी प्रवीण द्विवेदी को अन्य स्थान पर भेजे जाने की मांग की है।

कर्मचारी अधिकारी एवं श्रम संगठन रेलवे मजदूर कांग्रेस का आपसी सामंजस्य बेमिसाल

अनूपपुर

बिलासपुर रेल जोन में कार्मिक विभाग तीनों रेल मंडल रायपुर, नागपुर, बिलासपुर में कर्मचारियों के कल्याण, प्रमोशन, नियुक्ति समस्या निवारण में उल्लेखनीय कार्य किया है। कार्मिक विभाग बधाई के हकदार हैं। उक्त उद्गार महाप्रबंधक बिलासपुर तरुण प्रकाश ने जोनल पीएनएम बैठक में कही रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल कार्यकारी अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी लक्ष्मण राव एवं जोनल प्रवक्ता गोपी राव ने बताया की साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के वर्ष 2025 की प्रथम जोनल स्थाई वार्ता तंत्र बैठक 19 व 20 फरवरी को जीएम सभागार बिलासपुर में संपन्न हुई। दो दिवसीय बैठक में मुख्य अतिथि महाप्रबंधक बिलासपुर तरुण प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में उपमहाप्रबंधक विजय कुमार साहू, बैठक का संचालन मार्गदर्शन श्रीमती दर्शनलिता अहलूवालिया ने किया। बैठक में बिलासपुर रेल जोन के सभी विभाग प्रमुख उपस्थित रहे रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल अध्यक्ष तपन चटर्जी, जोनल महामंत्री पीताम्बर लक्ष्मीनारायण एवं सभी केन्द्रीय पदाधिकारी विजय अग्निहोत्री, डी विजय कुमार, इंदल दमाहे, बी कृष्ण कुमार, डी के स्वाइन, महिला रेलवे कांग्रेस से कु. पी वी सुभाषिनी, श्रीमती श्रीति दासराय विश्वास, भीमराव बोदलकर, आर के यादव, समीर पाण्डेय, राजेश खोबरागड़े, आदि उपस्थित में चर्चा हुई जिसमें कर्मचारी कल्याण के कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिनमें प्रमुख रुप में रेलवे कालोनी में सुधार हेतु हाईपावर कमेटी का कठन होगा, जीडीसी का नोटिफिकेशन जारी होगा। रनिंग समस्याओं को पर चर्चा हुई, कोरबा अंडर ब्रिज, भिलाई में फिल्टर प्लांट हेतु करोड़ की राशि मंजूर की गई।

राजेन्द्रग्राम में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग संबंधी बैठक संपन्न

राजेन्द्रग्राम। पुलिस थाना राजेंद्रग्राम में तहसीलदार पुष्पराजगढ़ गौरीशंकर शर्मा, नायब तहसीलदार कौशलेंद्र मिश्रा थाना प्रभारी द्वारा डी.जे. संचालक, विभिन्न धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियो की बैठक ली गई। बैठक में जिले में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के सफल संचालन हेतु कलेक्टर द्वारा म.प्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि किसी भी संस्था/व्यक्ति द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 यथासंशोधित के प्रावधानों का पालन करते हुये ही ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउडस्पीकर/डी.जे. का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे तक किया जा सकेगा। अधिकतम ध्वनि सीमा 1/4 वॉल्यूम (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि 10 डेसीबल के अनधिक) के अन्तर्गत ध्वनि मानकों के प्रावधानों का पालन करते हुए सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम 02 डी.जे. के प्रयोग की ही अनुमति दी जाएगी। डी.जे. व लाउडस्पीकर की विधिवत अनुमति अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिए जाने तथा अन्य आवश्यक दिशा निर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया सभी से दिशा निर्देशों के पालन की अपील भी की गई।

SELECTION OF AGENCY FOR ESTABLISHING OPERATING AND MAINTAINING DISTRICT NODAL CALL CENTRE, DISTRICT ANUPPUR

Notice Inviting Tender (NIT)

Office of DeGS,District District -Anuppu, Department of Public Service Management Pin Code-484224

BidNo:PSM/DCCC/ANUPPUR/2025/410 Date:23/01/2025

Request for Proposal (RFP) for Selection of Agency for Establishing, Operating and Maintaining DISTRICT NO DAL CALL CENTRE at Office of DeGS, District Anuppur
Online Tenders are invited from reputed Agencies based in India for providing manpower with Tequipmentme ntionedin this RFP for Establishing, Operating and Maintaining DISTRICT NO DAL CALL CENTRE for Office of DeGS, District Anuppur The bids will be received up to the date & time indicated below.The online tenders will be open edin the office of the undersign edasmentioned time schedule(keydate).

Tender Specification No	Name of the Work/Services	Tender Fees In INR	EMD In INR	Performance Bank guarantee (PBG)	Due date of opening of tender online from 15:00 Hrs
1	Selection of Agency for Establishing, Operating and Maintaining DISTRICT NODAL CALL CENTRE at Office of DeGS,District Anuppur	500/-	50,000/-	03% of the overall contract value	05/03/2025

For updated/extended due dates for opening of tender please refer to the keydates. The Client reserves the right to reject any or all the tenders or accept any tender in full or part asconsidered advantageous to the Client, whether it is lowest or not, without assigning any reason whatso ever it may be.

Office of DeGS, District -Anuppu
Department of Public Service Management Pin Code-484224